HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने वाले 04 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15-15 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **कुरारा** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-125/2022 धारा–308,323,504,506,324,452,34 भा0द0सं0** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तों 1.**सोबरन पुत्र बालकिशुन** 2.**प्रेमचन्द्र पुत्र सोबरन सिंह** 3.**कल्लू उर्फ प्रताप सिंह पुत्र सोबरन सिंह** 4.**चरन सिंह उर्फ बुल्ला पुत्र सोबरन सिंह** निवासीगण ग्राम झलोखर, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए **05-05 वर्ष** का सश्रम कारावास व प्रत्येक को **₹ 15,000-15,000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

	अभियोजक- एडीजीसी श्री चन्द्रप्रकाश गोस्वामी		विवेचक- उ0नि0 फूलचन्द्र मिश्रा		पैरोकार- थाना कुरारा का0 रजनीश कुमार